HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2414/2025
IN
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 3122/2025
CNR: RJHC021040062025 | URN: CRLAS / 5822U / 2025

Sohan Singh @ Temu Son Of Shri Chittar Singh, Resident Of Ramner Dhani Police Station Gandhinagar, District Ajmer. (Accused Presently Confined In Central Jail Ajmer)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री पुष्पेन्दु शर्मा
श्री प्रशान्त दुबे

For Respondent(s) : श्री श्रीराम धाकड़, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

28-07-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) अजमेर (राज)** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**113/2017 सरकार बनाम सोहन सिंह व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश क्रमशः दिनांक **25.09.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान लगभग 6 माह से अभिरक्षा में रहा है तत्पश्चात् निर्णय की दिनांक 25.09.2025 से लगातार अभिरक्षा में है । उसकी अभिरक्षा अवधि 15 माह से अधिक हो चुकी है । उनका यह भी तर्क रहा है कि चोट प्रतिवेदन दिनांक 10.09.2016 को डॉ. पी.सी.पाटनी द्वारा तैयार की गई है परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से डॉ. पी.सी.पाटनी को परीक्षित नहीं करवाया गया है । उनका यह भी तर्क रहा है कि चोट प्रतिवेदन संख्या प्रदर्श पी–29 में जिन चोटों के लिए राय सुरक्षित रखी गई है उनके संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञ की अंतिम राय अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है । उनका यह भी तर्क है कि डॉ. पी.सी.पाटनी द्वारा प्रदर्श पी–29 चोट प्रतिवेदन तैयार किया गया है। यदि उसे अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराया जाता तो इस गवाह से उन्हें प्रतिपरीक्षण का अवसर प्राप्त होता । उनका यह तर्क है कि सर्वप्रथम आहत जे.एन.एल. अस्पताल में भर्ती रहा है , आहत द्वारा स्वयं ही अस्पताल से छुट्टी ली गई है तत्पश्चात् दिनांक 14.09.2016 से 20.09.2016 तक श्री चारभुजा अस्पताल में भर्ती रहा है । उक्त चिकित्सा संबंधी दस्तावेज को अभियोजन पक्ष द्वारा विधि अनुसार साबित नहीं कराया गया है । उनका तर्क रहा है कि अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य है। प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया । प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **01.09.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **सोहन सिंह उर्फ टेमू पुत्र छीतरसिंह** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/20